उत्पाद बेचने के लिए उत्पादकों को दो लाख तक प्रोत्साहन राशि

जासं, प्रयागराज : एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) के तहत चयनित उत्पादों को मेला और प्रदर्शनी में बेचने के लिए उत्पादकों को अधिकतम दो लाख रुपये तक प्रोत्साहन राशि मिलेगी। उन्हें आने-जाने का खर्च भी एसी क्लास का मिलेगा। शासन ने ओडीओपी के प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए विपणन नीति तय कर दी है। इस संबंध में सचिव (शासन) भुवनेश कुमार ने आदेश भी जारी कर दिया है।

प्रोत्साहन राशि पाने के लिए उत्पादकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, लेकिन जब तक उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय का ऑनलाइन पोर्टल शुरू नहीं हो जाता है, तब तक जिला उद्योग केंद्रों में आवेदन करना पड़ेगा।

सूबे में मेला-प्रदर्शनियों में भाग लेने पर आर्थिक सहायता

–स्टाल चार्ज का 75 फीसद अथवा अधिकतम 50 हजार रुपये

–उत्पादन स्थल से मेला-प्रदर्शनी तक माल ढुलाई पर खर्चा का 75 फीसद अथवा अधिकतम 7500 रुपये

–मेले में भाग लेने के लिए एक व्यक्ति के आने-जाने का ट्रेन में थ्री एसी अथवा बस में एसी का किराया

सूबे के बाहर के लिए आर्थिक मदद

–उत्पादन स्थल से प्रदर्शनी-मेला तक माल ढुलाई पर खर्चा का 75